उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-208/2017/3170/92-2-17-108जॉच/2014

लखनऊ:: दिनांक:: 06 दिसम्बर,2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्राम-कोलाना, विकास खण्ड-नोजिल विधानसभा क्षेत्र-माठ जनपद मथुरा में सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन का निर्माण निम्न गुणवत्ता व मानक के अनुरूप नही कराये जाने तथा शिथिल निरीक्षण एवं लापरवाही के प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-53 मं0आ0/92-14-107जांच/2014 दिनांक 16-12-2014 द्वारा श्री संजय अग्रवाल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा को निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु मुख्य अभियंता, (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2015/558/92-1-15-108जांच/2014 दिनांक 12-02-2014 द्वारा श्री संजय अग्रवाल, अधिशासी अभियंता का निलम्बन समाप्त करते हुये उन्हें सेवा में इस शर्त/प्रतिबंध के साथ बहाल किया गया कि उनके विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2014 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत चलती रहेगी।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता,(पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2261/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/प0सं0-318/14-15 दिनांक 22-07-2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या सतही पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1077/92-2-15-108जांच/2014 दिनांक 23-09-2015 द्वारा प्रकरण में जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये मुख्य अभियंता ((पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर मुख्य अभियंता, (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया।

3- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता, (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-888/ग्रा0अ0वि0/अनु0जां0-मथुरा/2015-16 दिनांक 27-01-2016 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जॉच आख्या में कतिपय आरोप सिद्व पाये जाने पर शासन के पत्र संख्या-216/92-2-15-108जांच/2014 दिनांक 17-03-2016 द्वारा अपचारी अधिकारी से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अभ्यावेदन मांगा गया, जो अपचारी अधिकारी के पत्र दिनांक 18-04-2016 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, जॉच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपो के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन, एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया है कि श्री संजय अग्रवाल, अधिशासी अभियंता मार्ग निर्माण कार्यो में ब्रूमिग का कार्य मानक के अनुरूप न कराने तथा अधीनस्थों पर शिथिल नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। उक्त अनियमितता के लिये श्री संजय अग्रवाल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड–मथुरा सम्प्रति प्रखण्ड-फिरोजाबाद

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

को वर्ष 2016-17 के लिये विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करते हुये उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी।

5- उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री संजय अग्रवाल द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 21-07-2017 को प्रस्तुत करते हुये वर्ष 2016-17 के लिये दी गयी विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि समाप्त करने का अनुरोध किया गया। श्री अग्रवाल द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन में अवगत कराया गया कि जांच अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सडक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा ब्रूमिंग के संबंध में दी गयी तकनीकी राय को भी स्वीकार किया गया परन्तु दूसरी ओर निदेशालय के परिपत्र सं0-210/दिनांक 24-05-2010 में दी गयी व्यवस्था का भी उल्लेख जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच आख्या में किया गया। इस प्रकार जांच अधिकारी की जांच आख्या में विरोधाभासी स्थिति दृष्टिगोचर होती है। जांच अधिकारी द्वारा अपनी विवेचना में यह भी स्वीकार किया गया कि ब्रूमिंग के न होने से कार्य की उपयोगिता/गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नही पडा हैं। इस संबंध में पुन: श्री अग्रवाल द्वारा अपने पत्र दिनांक 28-09-2016 द्वारा ब्रूमिग के संबंध में केन्द्रीय सडक अनुसंधान, नई दिल्ली द्वारा दी गयी तकनीकी राय के दृष्टिगत निर्णय लेने का अनुरोध किया गया परन्तु श्री अग्रवाल का कथन है कि उनके द्वारा ब्रूमिग के संबंध में साक्ष्य के रूप में केन्द्रीय सडक अनुसंधान, नई दिल्ली द्वारा दी गयी तकनीकी राय को संज्ञान में न लेकर निदेशालय के परिपत्र दिनांक 24-05-2010 का ही संज्ञान लेकर उनके विरूद्व प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की गयी।

6- श्री अग्रवाल, अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-फिरोजाबाद द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त पाया गया कि निदेशालय के परिपत्र दिनांक 24-05-2010 में यह उल्लिखित है कि डा0 अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य सरफेस टैक्चर/ब्रूमिग का कार्य मानक के अनुसार अवश्य किया जाय। इस संबंध में निदेशालय के परिपत्र दि0 27-11-2008 के प्रस्तर-7 में ब्रूमिग के संबंध में दिये गये मानक के अनुसार "ग्रामसभा की गलियों में 1:2:4 (सीमेंट:कोर्स:सैण्ड, 20एम0एम0 सटोन ग्रिट) को सी0सी0 मिक्चर में मिलाकर आवश्यक वर्केबिलिटी हेतु न्यूनतम पानी मिलाते हुये तैयार किया जाना है तथा आधा घण्टा के अंदर सरफेस बाईब्रेटर/स्क्रीड बाईब्रेटर से काम्पैक्ट सुनिश्चित करना है। सी0सी0 रोड के टाप सरफेस पर लोहे के कन्ने से लेवलिंग नही की जानी है। बल्कि लकडी वाले रूसे से सतह प्लेन करना है तथा बाईब्रेटर चलाने के बाद यदि कुछ स्थानों पर मोरटार की कमी के कारण सतह समतल नही हो पाती है तो उसको 1:2 के सीमेंट कोर्स के सैण्ड के मसाले से समतल करके प्लेन करने के बाद सरफेस को ब्रोम फिनिश किया जाना है एवं ब्रोम फिनिश की लम्बाई के परपेडीकुलर फिनिश किये जायेगें तथा ग्रूब्स की गहराई 1 से डेढ मिमी0 तक हो सकती है।" अत: श्री संजय अग्रवाल, अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-फिरोजाबाद निदेशालय के उक्त परिपत्र के अनुसार ब्रूमिग का कार्य न कराये जाने हेतु उत्तरदायी हैं।

7- इस प्रकार श्री संजय अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री अग्रवाल का प्रत्यावेदन दिनांक 21-07-2017 को बलहीन पाये जाने के कारण एतदद्वारा निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-208/2017/3170(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री संजय अग्रवाल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा सम्प्रति प्रखण्ड-फिरोजाबाद द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।